परिशिष्ट 'अ'

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 373/22/25/07/ल.सि./31/(799) भोपाल, दिनांक 17/08/2015

आदेश

राज्य शासन द्वारा लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रति हेक्टर लागत के संबंध में समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 10–06–2011 में संशोधन कर निम्नानुसार वित्तीय मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :–

स.क्रं.	परियोजना का प्रकार	लागत सीमा
1	जलाशय (नहर के साथ)	₹3.50 लाख प्रति हेक्टर
2	जलाशय (बिना नहर के)	₹3.00 लाख प्रति हेक्टर
3	स्टापडेम/बैराज	₹1.75 लाख प्रति हेक्टर

2. यह आदेश वित्त विभाग के यू.ओ. क्रं. 494/आर.664/15/बी–9/चार दिनांक 14–08–2015 द्वारा प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17/8/15
(व्ही.एस. टेकाम)
उप सचिव,
17.08.15
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रं. एफ 373/22/25/07/ल.सि./31/(800) भोपाल, दिनांक 17/08/2015

प्रतिलिपिः–

(1) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय।
(2) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग/योजना विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्रालय।
(3) सचिव (श्री हरिरंजन राव) मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग।
(5) प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
(6) समस्त अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश
(7) वेब मेनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाइकू, जल संसाधन संसाधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

17/8/15
उप सचिव,
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग
17.08.15